भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *108
10 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

गहरे समुद्र तथा अपतटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना

***108 श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्यपालन क्षेत्र में देश अभी भी कम प्रदर्शन करने वाला बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उच्च समुद्री परिचालन में देश का मत्स्य बेड़ा केवल 4 भारतीय ध्वज वाले जहाजों तक सीमित है, जबकि श्रीलंका और ईरान के पास 1000 से अधिक जहाज हैं;

(ग) गहरे समुद्र और अपतटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने में देश की सीमित उपस्थिति के लिए पहचाने गए प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

"गहरे समुद्र तथा अपतटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना" के संबंध में 10 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए श्री एस. निरंजन रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं 108 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा देश में मछुआरों और मत्स्य किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई परिवर्तनकारी सुधारात्मक पहल किए हैं। केंद्र सरकार, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों तथा मछुआरों और मत्स्य किसानों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है । देश के समुद्री (मरीन) और अंतर्देशीय (इनलैंड) क्षेत्र से समेकित कुल मत्स्य उत्पादन 106.44% बढ़ा है, जो 95.79 लाख टन (2013-14) से बढ़कर 197 लाख टन (2024–25) हो गया है, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन गया है। हालांकि अंतर्देशीय मात्स्यिकी ने इस दौरान 142% की शानदार वृद्धि दिखाई है, वहीं समुद्री मात्स्यिकी ने 2023-24 में 44.94 लाख टन उत्पादन के साथ इस दौरान 36% की स्थिर वृद्धि दर्ज की है। भारत सरकार की विभिन्न सुविचारित नीतियों और पहलों के परिणामस्वरूप, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात जो 2013-14 में ₹30,213 करोड़ था, वह 100 % से अधिक वृद्धि के साथ 2024-25 में दोगुना होकर ₹62,408 करोड़ हो गया है ।

देश में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र छोटे पैमाने का रहा है और मछली पकड़ना मुख्य रूप से तटीय इलाकों के समीपवर्ती जल तक सीमित है। नीति आयोग की रिपोर्ट में मत्स्यन गतिविधि को गहरे समुद्र (डीप सी) और तट से दूर (ऑफशोर) विस्तारित करने की संभावनाओं पर बल दिया गया है। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) में लगभग 71.6 लाख टन की क्षमता होने का अनुमान है, जिसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह की प्रजातियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में स्थाई विकास (सस्टेनेबल ग्रोथ) की बहुत अच्छी संभावना है।

(ख): भारत इंडियन ओशन टूना कमीशन (IOTC) का सदस्य है, जो एक रीजनल फिशरीज़ मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (RFMO) है, जिसमें फिशरी सर्वे ऑफ़ इंडिया (FSI) के 04 भारतीय वेसल्स अधिकृत फिशिंग वेसेल्स के रूप में पंजीकृत हैं । यह तथ्य है कि देश के फिशिंग फ्लीट अभी EEZ के भीतर ओपरेट हो रहे हैं । हालांकि, कभी-कभी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले से कुछ फिशिंग वेसल्स भारतीय EEZ से आगे खुले समुद्र (हाई सी) में चले जाते हैं।

(ग) और (घ): डीप सी और ऑफशोर क्षेत्रों में मत्स्यन के लिए, तकनीकी रूप से उन्नत (एडवांस्ड) डीप सी फिशिंग वेसल्स की आवश्यकता होती है जो लंबे समय तक यात्राएं कर सकें, साथ ही, इस प्रकार के फिशिंग वेसेल्स को ओपरेट करने के लिए बहुत कुशल क्रू की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डीप सी और ऑफशोर क्षेत्रों में साझा मत्स्य संसाधनों के दोहन हेतु समुद्री सुरक्षा के उपयुक्त नियामक ढांचे को अपनाने तथा RFMO द्वारा निर्धारित संरक्षण और प्रबंधन उपायों का अनुपालन आवश्यक है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) 'ब्लू रेवोल्यूशन' के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने (डीप सी फिशिंग) हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंशा से मार्च, 2017 में "गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु सहायता" (एसीस्टेंस फॉर डीप सी फिशिंग") नामक एक उप-घटक और अगस्त, 2018 में एक और घटक - " गहरे समुद्र में संसाधन विशिष्ट मत्स्यन जहाजों के रूप में ट्रॉलरों का रूपांतरण" (कनवरशन ऑफ ट्रालर्स इंटू रीसोर्स स्पेसिफिक डीप सी फिशिंग वेसेल्स) शुरू किया गया था। तत्पश्चात, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से पारंपरिक मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसेल्स (DSFVs) के अधिग्रहण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसल्स को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (FIDF) के अंतर्गत भी डीप सी फिशिंग वेसेल्स के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ब्लू रेवोल्यूशन, PMMSY और FIDF की योजनाओं के अंतर्गत, पारंपरिक मछुआरों के लिए 1243 डीप-सी

फिशिंग वेसेल्स (DSFVs) खरीदने और निर्यात क्षमता के लिए 1330 मौजूदा फिशिंग वेसल को अपग्रेड करने या बदलने के लिए कुल 895.9 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, ब्लू रिवोल्यूशन और PMMSY योजनाओं के अंतर्गत डीप-सी फिशिंग के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं और सम्पूर्ण क्षेत्र के लाभ के लिए और मत्स्य उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए कुल 9,917.27 करोड़ रुपए की परीयजना लागत से 117 फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

विदेश मंत्रालय ने, 04 नवंबर, 2025 को प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 के तहत अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025 अधिसूचित किया है । इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों, मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को परिचालन का विस्तार करने, डीप सी फिशिंग द्वारा अप्रयुक्त संसाधनों का उपयोग करने और प्रसंस्करण एवं निर्यात के माध्यम से नई आय धाराओं तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे आजीविका में वृद्धि हो सके।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025 समुद्री इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने और अप्रयुक्त मत्स्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए तैयार किए गए हैं। एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन में संसाधनों को सस्टेनेबल रूप से दोहन करने के लिए इकोसिस्टम अप्रोच को बढ़ावा देने और संरक्षण और प्रबंधन उपायों को लागू करने पर भी बल दिया गया है, जैसे कि मानसून या मत्स्य प्रजनन अवधि में मछली पकड़ने पर एक यूनिफ़ोर्म रूप से प्रतिबंध, मछली का न्यूनतम कानूनी आकार, बायकैच में कमी, पोस्ट हारवेस्ट नुकसान को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ, मत्स्य स्टॉक का संरक्षण अथवा सी रैंचिंग, आर्टिफिशियल रीफ की स्थापना आदि जैसे पुनर्बहाली के उपाय । ये नियम हमारे समुद्र की बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए EEZ में विनाशकारी तरीकों से मछली पकड़ने और छोटी अपरिपक्व मछलियों को पकड़ने (जुवेनाईल फिशिंग) पर भी रोक लगाते हैं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार "होल ऑफ गवर्नमेन्ट एप्रोच" अपना रहा है और एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) के माध्यम से छोटे पैमाने के मछुआरों, सहकारिताओं और मछुआरों की सोसाइटियों को डीप सी फिशिंग, पोस्ट हारवेस्ट प्रोसेसिंग और निर्यात में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय कोऑपरेटिव संस्थाओं को सशक्त करके और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के माध्यम से कोऑपरेटिव क्रेडिट तक पहुँच को आसान बनाकर इस पहल को सपोर्ट करता है। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र में, NCDC ने 14 DSFV के लिए 20.30 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से सहायता प्रदान की है, जिसमें NCDC की ऋण सहायता 11.55 करोड़ रुपए, PMMSY की सहायता 6.72 करोड़ रुपए और सोसायटी का योगदान 2.03 करोड़ रुपए शामिल है। इस मॉडल को अपनाते हुए, मुंबई शहर की दो मछुआरा सोसाइटियों को हाल ही में, 27.10.2025 को PMMSY के तहत 02 DSFV मिले हैं। यह पहल मात्स्यिकी क्षेत्र में कोऑपरेटिव आधारित विकास का एक मॉडल है, जो पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने के लिए सशक्त बनाता है और भारत को अधिक सस्टेनेबल और आर्थिक रूप से लाभकारी समुद्री दोहन प्रथाओं (मरीन हारवेस्टिंग प्रेक्टीसेस) की ओर अग्रसर करता है। यह तंत्र क्रेडिट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इंश्योरेंस तक पहुँच को आसान बनाकर सरकारी प्रयासों को और पुष्ट करता है। यह छोटे मछुआरों, सोसाइटियों और कोऑपरेटिवों को मॉडर्न डीप सी फिशिंग वेसल्स (DSFVs) के अधिग्रहण और परिचालन में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रोसेसिंग सुविधाएँ स्थापित करने में भी सहायक है।

*****